Request-79

By Registered Post

From,

Ramesh Kumar(Malviya),
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

The District Judge,
Jhansi.

42 No. 431 /IV-3610/Admin.(A) Dated:Jan. 10th ,2017

Subject:Guidelines regarding payment of TA claim of Sri Narendra Pal Rana, Additional Civil Judge(Senior Division)/ACJM, Jhansi and his wife, Smt. Manisha, Additional District & Sessions Judge, Jhansi, on account of their concurrent transfer from Lucknow to Jhansi.

Sir,

with reference to your letter No. 3076/XV dated 15.11.16, on the above subject, I am directed to say that all matters of payment of TA claims are supposed to be dealt in accordance with provisions contained in Travelling Allowance Rule-book, Financial Hand Book, Volume-III. Besides, I am to say that annexed rule of U.P.F.H.B., Vol-III is in itself very clear about given scenario.

I, therefore, request you to kindly take necessary action in instant matter in the light of relevant provisions contained in U.P. Travelling Allowance Rule-book, Financial Hand Book, Volume-III. Additionally, you are requested to furnish exhaustive report to this Court depicting all details regarding earlier TA claim that has been doubly drawn by Sri Narendra Pal Rana, Additional Civil Judge(Senior Division)/ACJM, Jhansi and his wife, Smt. Manisha, Additional District & Sessions Judge, Jhansi, on account of their concurrent transfer.

Yours faithfully,
[signature] 06/01/17
Deputy Registrar

43 No. 432 /IV-3610/Admin.(A) Dated:Jan. 10th ,2017

Copy forwarded for information and necessary action to following :

(1) Smt. Manisha, Additional District & Sessions Judge, Jhansi.
(2) Sri Narendra Pal Rana, Additional Civil Judge(Senior Division)/ACJM, Jhansi.

[signature] 06/01/17
Deputy Registrar

JR (M)

May kindly see approval dt. 02.01.17, on below placed office note and issue fair draft &

[signature]
2/1/17 (SO)

[signature] 06/01/17

[signature] 03/01/17
AR.

कृष्णगोपाल (3 पेज)
14-11-16

Request-79

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।

Saintal
22-11-16
Encl@page

23/11

Reg. No 21216
File No IV/3610
Serial No 41

6-12-16

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

764 पत्रांक 3076/XV

8
7-12-16

झांसी, दिनांकः नवम्बर 15, 2016

विषयः श्री नरेन्द्र पाल राणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02, जनपद न्यायालय, झांसी द्वारा जनपद न्यायालय, लखनऊ से जनपद न्यायालय, झांसी में स्थानान्तरण के फलस्वरूप एकमुश्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

1849
19-11-16

महोदय,

श्री नरेन्द्र पाल राणा इस न्यायिक अधिष्ठान में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–02, जनपद न्यायालय, झांसी के पद पर कार्यरत है। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद न्यायालय, लखनऊ से जनपद न्यायालय, झांसी स्थानान्तरण के फलस्वरूप एकमुश्त स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य किये जाने हेतु आवेदन–पत्र दिनांक 18.08.2016 प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में सम्मानपूर्वक निवेदन करना है कि श्री नरेन्द्र पाल राणा की पत्नी श्रीमती मनीषा भी इसी न्यायिक अधिष्ठान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। इसके पूर्व दोनो पति–पत्नी न्यायिक अधिकारीगण जनपद न्यायालय, लखनऊ में पदस्थ थे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोनो पति–पत्नी न्यायिक अधिकारीगण को एक साथ जनपद न्यायालय, लखनऊ से जनपद न्यायालय, झांसी स्थानान्तरित किया गया है। उक्त प्रकरण में सम्बन्धित अधिकारी से दोनो पति–पत्नी न्यायिक अधिकारीगण को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की देयता के सम्बन्ध में निर्गत किये गये किसी आदेश/नियम की प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। उक्त के जबाव में उनके द्वारा यह कहा गया है कि उनको ऐसे किसी विशिष्ट नियम/आदेश की जानकारी नही है एवं यह भी कहा कि पूर्व तैनाती के स्टेशन पर उनके द्वारा अलग–अलग स्थानान्तरण यात्रा भत्ता प्राप्त किया जा चुका है।

इसी क्रम में यह भी निवेदन करना है कि श्रीमती मनीषा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी द्वारा उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप जो स्थानान्तरण भत्ता देयक प्रपत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है उसमें उनके द्वारा एकमुश्त स्थानान्तरण भत्ता की राशि रूपये 51,550/– क्लेम की गई है एवं उक्त देयक में परिवार के 04 सदस्यो का (स्वयं का, अपने पति एवं 02 बच्चों का) रेल किराया क्लेम किया गया है।

उक्त प्रकरण में उ0प्र0 यात्रा भत्ता नियमावली एवं अन्य नियमों व शासनादेशों का अवलोकन किया गया। जहाँ पति–पत्नी दोनो सरकारी कर्मचारी है एवं एक ही स्टेशन पर कार्यरत है तथा उन्हे एक साथ नये स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया जाये, तो ऐसी परिस्थिति में उ0प्र0 यात्रा भत्ता नियमावली में " यात्रा भत्ता से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर " का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत् है –

(5)
D.R.M
W.C

प्रश्न– एक सरकारी कर्मचारी तथा उसकी पत्नी दोनों एक ही स्टेशन पर कार्यरत थे तथा उन्हें एक साथ एक नए स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया। दोनों ने अलग–अलग यात्रा भत्ते का दावा किया।

उत्तर– उक्त स्थिति में पति–पत्नी अलग–अलग स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा नही कर सकते। उनमें से कोई एक यात्रा भत्ते का दावा करेगा तथा दूसरा उसके परिवार के सदस्य के रूप में उस तरह माना जायेगा जैसे वह सरकार का कर्मचारी नही है तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र भी यात्रा भत्ता बिल के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त नियम/प्रश्नोत्तर के अवलोकन उपरान्त उक्त प्रकरण में स्थिति सन्देहास्पद हो गयी है कि ऐसी परिस्थिति में पति तथा पत्नी न्यायिक अधिकारीगण का अलग–अलग स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य किया जा सकता है अथवा नहीं।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने का कष्ट करें, जिससे कि उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

सम्मान सहित।

SO Adm (BE)
21/11/16

भवदीय,

15/11/16

(अतुल कुमार गुप्ता)
जनपद न्यायाधीश,
झांसी।
जिला जज
झाँसी (उ0प्र0)

Pranti
SO Adm H
BWath
22-11-16
D.R.

Request_79

उत्तर प्रदेश

यात्रा भत्ता
नियमावली
अन्य समस्त भत्तों सहित

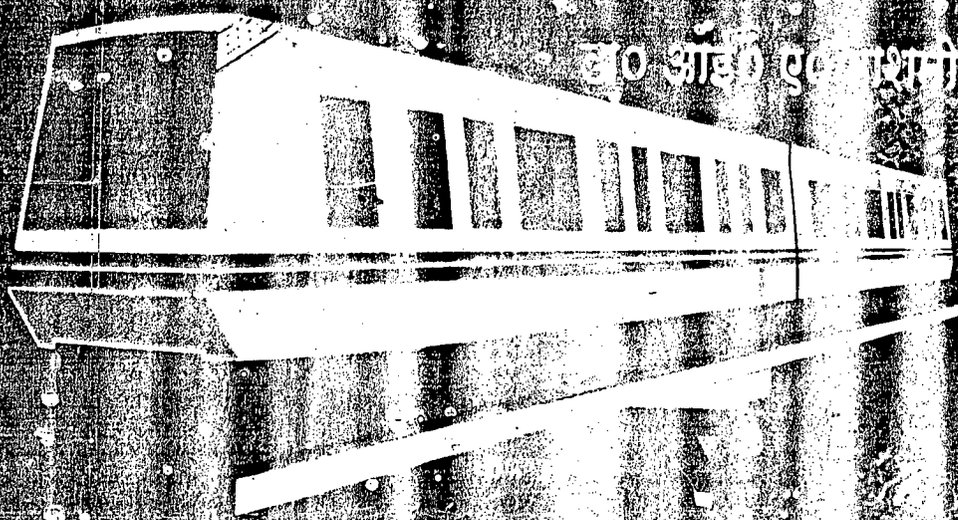

According to F.H.B. Vol. III

हाशमी लॉ एजेन्सी

Request-79

3-	रु० 4200 तथा रु० 2800	2500 किग्रा०
4-	रु० 2[illegible] से कम	1250 किग्रा०

(ii) यदि यात्रा स्वयं अकेले की गयी हो—स्थानान्तरण के बाद सरकारी सेवक द्वारा स्वयं अकेले यात्रा की गयी हो तो उस स्थिति में उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ–3 में उल्लिखित भार का 2/3 भाग अधिकतम देय होगा।

(ख) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)/पैकिंग भत्ता

सरकारी सेवकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने के दशा में उन्हें एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान की व्यवस्था तथा जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर पैकिंग भत्ता अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था निम्नानुसार संशोधित दरों पर बनी रहेगी।

(i) जनहित में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवकों को में आधे माह के मूल वेतन के बराबर धनराशि अनुमन्य होगी।

(ii) जनहित में एक जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण होने पर कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट अनुमन्य नहीं होगी, उसके स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा:—

क्र० सं०	ग्रेड वेतन/वेतनमान	पैकिंग भत्ते की दर
(1)	(2)	(3)
1-	रु. 4200 ग्रेड वेतन तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	रु. 1500/-
2-	रु. 4200 से कम	रु. 750/-

2- यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरें एवं व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी।

3- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेगे।

भवदीय,

अनूप मिश्र,

प्रमुख सचिव वित्त।

□□□

यात्रा भत्ता से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर

प्रश्न 1. सरकारी दौरे पर गए हुए दो सरकारी कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से एक टैक्सी से यात्रा की तथा दोनों ने [illegible] टैक्सी के सम्पूर्ण किराए की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा [illegible] कर दिया गया।

उत्तर : सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही ठीक नहीं है। दोनों कर्मचारी समानुपाती आधार पर अलग–अलग टैक्सी के आधे किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

प्रश्न 2. एक सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यालय से 125 कि.मी. तथा अपने गृहनगर से मात्र 20 कि.मी. दूर एक अन्य स्टेशन 'ख' पर सरकारी दौरे पर गया। अगले दिन शनिवार शाम को 5 बजे वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से निजी यात्रा पर गृहनगर गया तथा रविवार को शाम

10 बजे वापस लौट आया तथा दोनों दिन के लिए उसने दैनिक भत्ते का दावा किया जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कर दिया गया।

उत्तर : सरकारी दौरे के दौरान पड़ने वाले अवकाशों के दौरान यदि सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन अवकाश का कुछ हिस्सा विश्रामस्थल पर व्यतीत करता है तो वह उस प्रत्येक अवकाश के लिए दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

प्रश्न 3. एक सरकारी कर्मचारी जिसने सरकारी दौरे के लिए यात्रा भत्ता अग्रिम लिया था, ने दौरा समाप्त होने के बाद एक वर्ष के भीतर अपना यात्रा भत्ता बिल इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया कि उसके वेतन का संशोधित वेतनमान में निर्धारण किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी कर्मचारी के वेतन से यात्रा भत्ता अग्रिम की एक मुश्त वसूली के लिए यह कहते हुए निर्देश जारी किया कि कर्मचारी के यात्रा भत्ते के दावे की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

उत्तर : सक्षम प्राधिकारी का आदेश ठीक नहीं है। संशोधित वेतनमान में वेतन के निर्धारण की स्थिति में सरकारी कर्मचारी अपना यात्रा भत्ता बिल दौरे की समाप्ति के एक वर्ष के बाद भी प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न 4. एक सरकारी कर्मचारी स्थानान्तरण की स्थिति में अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ पुराने कार्यालय से नए कार्यालय के लिए सड़क मार्ग से टैक्सी द्वारा यात्रा करता है तथा पाँच सड़क मील भत्तों का दावा करता है जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम तीन सड़क भत्तों तक सीमित कर दिया जाता है।

उत्तर : केवल सड़क मार्ग से जुड़े दो स्थानों के बीच स्थानान्तरण पर यात्रा की स्थिति कर्मचारी में स्वयं के अलावा परिवार के शेष सदस्यों के लिए अधिकतम दो सड़क मील भत्तों का दावा और कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही ठीक है।

प्रश्न 5. एक सरकारी कर्मचारी का अपने मुख्यालय से 18 कि.मी. दूर एक नए मुख्यालय पर स्थानान्तरण हुआ जिसके लिए कर्मचारी ने एक महीने के मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के बराबर राशि का संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान के रूप में दावा किया जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर नहीं किया गया।

उत्तर : पुराने तथा नए मुख्यालय के बीच की दूरी 20 कि.मी. से कम होने पर संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान की राशि सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन तथा महंगाई वेतन की कुल राशि की एक तिहाई राशि से अधिक नहीं होगी। उक्त मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे की राशि उसके एक–तिहाई तक सीमित की जानी चाहिए।

प्रश्न 6. एक सरकारी कर्मचारी तथा उसकी पत्नी दोनों एक ही स्टेशन पर कार्यरत थे तथा उन्हें एक साथ एक नए स्टेशन पर स्थानान्तरित कर दिया गया। दोनों ने अलग-अलग यात्रा भत्ते का दावा किया।

उत्तर : उक्त स्थिति में पति–पत्नी अलग–अलग स्थानान्तरण यात्रा भत्ते का दावा नहीं कर सकते। उनमें से कोई एक यात्रा भत्ते का दावा करेगा तथा दूसरा उसके परिवार के सदस्य के रूप में उस तरह माना जाएगा जैसे वह सरकार का कर्मचारी नहीं है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी यात्रा भत्ता बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

Digitally Signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:09:52 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad